न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाडा

(पीठासीन अधिकारी रणजीत सिंह आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या –94/2023–निगरानी

विकास अधिकारी पंचायत समिति बिजौलियां जिला भीलवाडा	बनाम	1. अंजनी कुमार/शंकर लाल पाराशर निवासी वार्ड नं. 15, चारभुजा मंदिर के पास, बिजौलिया, तहसील बिजौलिया 2. सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत बिजौलिया
–निगराकार		– गैर निगराकार

निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 पंचायत राज अधिनियम पटटा क्रमांक 1676 दिनांक 10.12.2019 निरस्त कराने बाबत्

उपस्थित–

1. विभागीय पेरोकार– निगराकार की ओर से

निर्णय

दिनांक 25.11.2025

निगराकार की ओर से यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम विरूद्व गैर निगराकारान के प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि प्रश्नगत पटटा जारी किये जाने से पूर्व ग्राम पंचायत बिजौलिया द्वारा नियम 140 के तहत आबादी भूमि से संबंधित कोई भी वैधानिक दस्तावेजात संलग्न नही किये गये। ग्राम पंचायत बिजौलिया द्वारा पटटा जारी करने में नियम 141 से 149 की उल्लघंना की गयी। जिसमें नक्शा नही बनाया गया, मौका निरीक्षण कमेटी का गठन नही किया गया, आपत्ति पत्र जारी नही किया गया। रियायती दर से भूखण्ड विक्रय होना बताया गया किन्तु प्रार्थी उक्त नियम की श्रेणी की पात्रता नहीं रखता हैं। पटटा कोरम से अनुमोदित नही कराया गया। पटटे के भूखण्ड पर प्रार्थी का किसी प्रकार का कोई कब्जा नही हैं। प्रार्थी द्वारा ग्राम पंचायत में भूखण्ड क्रय करने बाबत् किसी भी प्रकार का आवेदन पत्र भी प्रस्तुत नही किया गया। निवेदन हैं कि निगराकार की निगरानी स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत बिजौलिया द्वारा जारी पटटा संख्या 1676 दिनांकित 10.12.2019 को निरस्त किया जाये।

प्रस्तुत निगरानी न्यायालय में दिनांक 01.09.2023 को दायर की जाकर विपक्षी को नोटिस जारी किये गये। दौराने बहस गैर निगराकार संख्या 01 अनुपस्थित । प्रकरण में निगराकार अधिवक्ताकी बहस सुनी गयी।

निगराकार ने अपनी बहस में निगरानी में प्रस्तुत तथ्यों को दोहराते हुए बताया किप्रश्नगत पटटा जारी किये जाने से पूर्व ग्राम पंचायत बिजौलिया द्वारा नियम 140

25.11.25

अति. जिला कलक्टर भीलवाडा

के तहत आबादी भूमि से संबंधित कोई भी वैधानिक दस्तावेजात संलग्न नही किये गये। ग्राम पंचायत बिजौलिया द्वारा पटटा जारी करने में नियम 141 से 149 की उल्लघंना की गयी। जिसमें नक्शा नही बनाया गया, मौका निरीक्षण कमेटी का गठन नही किया गया, आपत्ति पत्र जारी नही किया गया। रियायती दर से भूखण्ड विक्रय होना बताया गया किन्तु प्रार्थी उक्त नियम की श्रेणी की पात्रता नहीं रखता हैं। पटटा कोरम से अनुमोदित नही कराया गया। पटटे के भूखण्ड पर प्रार्थी का किसी प्रकार का कोई कब्जा नही हैं। प्रार्थी द्वारा ग्राम पंचायत में भूखण्ड क्रय करने बाबत् किसी भी प्रकार का आवेदन पत्र भी प्रस्तुत नही किया गया। निवेदन हैं कि निगराकार की निगरानी स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत बिजौलिया द्वारा जारी पटटा संख्या 1676 दिनांकित 10.12.2019 को निरस्त किया जाये।

बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक परीक्षण किया गया। जिसके उपरान्त पाया कि मिसल पत्रावली परीक्षण से ज्ञात हुआ कि पटटा धारक एस सी, एस टी, ओबीसी श्रेणी कि सदस्यता में नही आता हैं एवं नियम 158 के उपधारा 2.3.4.5.6.7 की परिधि में नही आता हैं तथा इस नियम के तहत जारी पटटे नियमानुसार विक्रय योग्य नही होते हैं।

उपरोक्त विवेचन अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियमों की उल्लघंना कर गैर निगराकार संख्या 01 को विधि विरूद्ध तरीके से जो पट्टा संख्या 1676 दिनांक 10.12.2019 को जारी किया गया, वह प्रारब्ध से ही शून्य होने से खारिज होने योग्य ठहरता हैं एवं विधि विपरीत पट्टे को खारिज किया जाना न्यायहित व राज्य हित में है। अतः निगराकार की निगरानी स्वीकार योग्य ठहरती हैं। अतएव–

आदेश

निगराकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम के तहत निगरानी स्वीकार की जाती हैं। ग्राम पंचायत बिजौलिया द्वारा जारी पट्टा संख्या 1676 दिनांक 10.12.2019 को निरस्त किया जाता हैं। निर्णय की प्रति मय तलबिदा रिकार्ड विकास अधिकारी पंचायत समिति बिजौलिया को प्रेषित किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 25.11.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

25.11.25
(रणजीत सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
भीलवाड़ा